न्यायालय–प्रशान्त पाराशर,. द्वित्तीय अपर सत्र न्यायाधीश (छ.ग.)
जमानत याचिका क्रं.- 1024/2026
आवेदक/अभियुक्त– नरेन्द्र कुमार साहू पिता कार्तिकराम साहू, उम्र–35 वर्ष, निवासी–मडियापार, थाना बोरी, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)
विरूद्ध
अनावेदक/राज्य– द्वारा आरक्षी नेवई, जिला दुर्ग (छ.ग.)
आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं. 2023 में पारित आदेश
आरक्षी केन्द्र–नेवई,
अपराध क्रं.–306/2026
अंतर्गत धारा–318(2), 318(3),318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023

21/07/2026

राज्य की ओर से श्री रमेश कुमार साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक/अभियुक्त नरेन्द्र कुमार साहू की ओर से श्री कुमारी श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण जमानत आवेदन पत्र पर तर्क एवं सुनवाई हेतु नियत है ।

थाना नेवई से केस डायरी प्राप्त ।

उभयपक्ष के उक्त जमानत आवेदन पर तर्क श्रवण किये गये ।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त के विरूद्ध थाना नेवई पुलिस के द्वारा उपरोक्त अपराध में तथा उपरोक्त धारा के अन्तर्गत झूठी रिपोर्ट के आधार पर गिरफ्तार कर माननीय विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किये थे, जहां से उनका जमानत आवेदन निरस्त कर अभियुक्त को जिला जेल दुर्ग भेज दिया गया उसके पश्चात यह प्रथम जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश किया जा रहा है, इसके अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन ना ही अन्य किसी न्यायालय में व उच्च न्यायालय में पेश हुआ है और ना ही निरस्त हुआ है। आरोपी कम पढ़ा–लिखा व्यक्ति हैं तथा उसे एक मुन्ना नामक व्यक्ति के द्वारा किसान खाद–बीज आदि के लिए लोन दिलवा दूंगा आदि बोलकर दस्तावेज प्राप्त कर लिया था तथा ज्यादा पढ़ा–लिखा नहीं होने के कारण तथा जानकार नहीं होने के कारण आरोपी के द्वारा अपने उक्त दस्तावेज प्रदान कर दिये गये थे उसके उपरांत कुछ दिनों के बाद काम नहीं हुआ है बोलकर उक्त दस्तावेज आधारकार्ड, पैनकार्ड, वापस कर दिया उसके उपरांत अभियुक्त अपने काम में लग गया तथा उसे इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उसके उक्त दस्तावेज के आधार पर

उक्त व्यक्ति के द्वारा धोखा देकर उसके नाम से एकाउन्ट खोलकर उक्त लेन–देन किया गया है। आरेपी को किसी प्रकार की ना ही नगद राशि दी गई, ना ही आरोपी को पैसे या किसी प्रकार का लालच था, खेती–किसानी के कार्य के लिए उसे पैसे की आवश्यकता थी जो लोन के माध्यम से लेना चाहता था। जब पुलिस के द्वारा नोटिस दिया गया, तब आरोपी के द्वारा सारी बाते थाने में बतायी गई, अपने एकाउन्ट उक्त बैंक में होने के संबंध में अनभिज्ञता जारी की गई, परंतु पुलिस द्वारा जबरदस्ती दस्तावेजो में हस्ताक्षर करवाकर आरेपी के विरूद्ध उक्त प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया गया ।आरोपी को उक्त बैंक एकाउन्ट के संबंध में ना ही कोई जानकारी थी और ना ही वह इस षडयंत्र में शामिल था, भोला–भाला सीधा–साधा होने के कारण उसे अपने जाल में फंसाकर उक्त कृत्य में संलिप्त करवा दिया गया है। उक्त अपराध की जो धाराए हैं उसमें 07 वर्ष की सजा का प्रावधान है, तथा सुप्रीम कोर्ट की दिशानिर्देशो के अनुसार उक्त प्रकरण में थाने से मुचलके की मांग की गई परंतु थाना द्वारा कोई मुचलका नहीं दिया गया तथा गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर दिया गया। उक्त प्रकरण से आरोपी का कोई सरोकार नहीं है, द्ववेषवश दुर्भावनावश उक्त प्रकरण में संलिप्त करवा दिया गया है तथा आरोपी उक्त कार्य करके अपने एवं अपने परिवारका पालन–पोषण करता है तथा आरोपी के दो छोटे–छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ते है जिसकी समस्त

पालन–पोषण की जवाबदारी आरोपी की है। आरोपी प्रथम अपराधी है एवं पारिवारिक व्यक्ति है तथा सहपरिवार शांतिपूर्ण ढंग से निवास करता है आरोपी के माता शुगर एवं ब्लड प्रेशर के मरीज हैं एवं बीमार रहते हैं मोहल्ले में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है पिता अपाहिज हैं आरोपी के जेल जाने से उसके मनोमष्तिष्क पर विपरीत प्रभाव पडेगा तथा सामाजिक प्रतिष्ठा धुमिल होगी तथा उक्त प्रकरण में विवेचना में अत्यधित समय लगने की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता, जिससे आरोपी एवं उनके परिवार के समक्ष गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आरोपी का यह प्रथम अपराध हैं तथा इससे पहले अन्य कोई प्रकरण में निरूद्ध नहीं हैं तथा सक्षम जमानत पर रिहा होना चाहते हैं तथा रिहाई पश्चात प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगें तथा माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन करेगा । प्रस्तुत आवेदन जमानत का पहला आवेदन पत्र है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवेदन अन्य किसी न्यायालय में या उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष नाही पेश किया गया है और ना ही लंबित है जिसके समर्थन में शपथ पत्र आरोपी के पिताजी कार्तिकराम साहू के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया है ।

अनावेदक राज्य की ओर से श्री रमेश कुमार साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुये व्यक्त् किया कि अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का

आरोप है। अतएव उक्त जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया जावे ।

उक्त जमानत आवेदन के परिप्रेक्ष्य में थाना नेवई के केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त का म्युल खाते से संबंधित प्रथम दृष्टया तथ्य दर्शित हैं और प्रकरण में राशि को लेने के आधार पर छल में शामिल होने के तथ्य हैं ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थिति को देखते हुये आवेदक/अभियुक्त नरेन्द्र कुमार साहू द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है ।

तदानुसार यह जमानत आवेदन निराकृत ।

जमानत आवेदन की प्रति केस डायरी सहित संबंधित थाना को तथा रिमाण्ड प्रपत्र एवं जमानत आवेदन की प्रति संबंधित न्यायालय को प्रेषित किया जावे ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा किया जावे ।

प्रकरण समाप्त ।

PRASHANT PARASHAR
Digitally signed by PRASHANT PARASHAR

(प्रशान्त पाराशर)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

दुर्ग (छ.ग.)

प्रतिलिपिः– 1. श्री विरेन्द्र सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,जिला दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. थाना प्रभारी, नेवई, जिला दुर्ग (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

वास्ते द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
दुर्ग (छ.ग.)